राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए

नागरिकों /कक्षीदारों (क्लाइंट) के लिए अधिदेश (चार्टर)

(2018-2019)

पता	:	भूखंड सं. 21, एफ.सी. 33, जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली- 110 025
वेबसाइट	:	www.ncw.nic.in
जारी करने की तारीख	:	अप्रैल, 2018
अगली समीक्षा की तारीख	:	अप्रैल, 2019

हमारी दूरदर्शिता

भारतीय महिलाएं, अपने घर और बाहर सुरक्षित रहे, अपने सभी अधिकारों और हकदारी तक पहुंच के लिए पूर्ण रूप से सशक्त हो और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से योगदान करने का अवसर प्राप्त हो।

मिशन

मिशन- महिलाएं

महिलाओं के विरूद्ध विभेद और अत्याचार से उद्‌भुत होने वाली विनिर्दिष्ट समस्याओं/स्थितियों को हल करने के लिए उपयुक्त नीति बनाकर, विधायी अध्युपाय, विधियों के प्रभावी प्रवर्तन, योजनाओं/नीतियों के क्रियान्वयन रणनीति बनाने के माध्यम से महिलाओं को उनके सम्यक् अधिकारों और हकदारियों को हासिल कराने और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता और समान सहभागिता को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को समर्थ बनाने का प्रयास करना है।

आयोग के कृत्य

(1) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 के अनुसार आयोग के निम्नलिखित कृत्य हैं:

(क) महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा करना;

(ख) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देना;

(ग) ऐसी रिपोर्टों में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्‌वारा उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना;

(घ) संविधान और अन्य विधियों के महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्‌यमान उपबंधों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके;

(ड.) संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के महिलाओं से संबंधित अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(च) निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना:-

(i) महिलाओं के अधिकारों का वंचन;

(ii) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन;

(iii) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुपालन, और ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(छ) महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने की कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके;

(ज) संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे कि आवास और बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाउपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने के लिए और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता;

(झ) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना;

(ञ) संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ट) किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का, जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और उपचारी कार्रवाई के लिए, यदि आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना;

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना;

(ड) महिलाओं से संबंधित किसी बात के, और विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं कार्य करती हैं, सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देना;

(ढ) कोई अन्य विषय जिसे केन्द्रीय सरकार उसे निर्दिष्ट करे।

हमारे ग्राहक (कस्टमर)/कक्षीदार(क्लाइंट)

क्रम. सं.	सहयोगी/ग्राहक/कक्षीदार
1.	सभी नागरिक विशेष रूप से महिलाएं। देश की ऐसी असहाय महिलाएं जो घरेलू हिंसा में चोटिल हुई है, मारपीट की गई है, कार्यस्थल पर जिनका उत्पीड़न, परेशान किया गया है।
2.	केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग और अन्य कार्यालय ।
3.	राज्य महिला आयोग, राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ।
4.	जिला और स्थानीय स्तर के प्रशासन ।
5.	महिलाओं के अधिकारों से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन और अन्य कार्यकर्ता।
6.	सिविल सोसायटी संगठन ।
7.	विश्वविद्यालय/शैक्षणिक और अनुसंधान संगठन ।
8.	स्वतंत्र विधिक और अन्य विशेषज्ञ ।

हमारी सेवाएं :

i. एक ऐसे विधिक ढांचे की व्यवस्था करना जो महिलाओं के लिए उपबंधित संवैधानिक और विधिक रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों के अध्ययन और अनुवीक्षण करने के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं का समाधान कर सकें ।

ii. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को प्राप्त असमान स्थिति की समस्या का समाधान और इसके लिए नीति बनाने की सिफारिश करना ।

iii. महिलाओं की शिकायतों का अनुवीक्षण और निवारण को सुकर बनाने के कृत्यों को पूरा करना और निम्नलिखित मामलों से संबंधित शिकायतों पर विचार करना और स्व प्रेरणा से पर्यवेक्षण करना :

(क) कानूनी या अन्यथा सहायता प्रदान करने से संबंधित महिलाओं के अधिकारों का वंचन।

(ख) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अननुपालन।

iv. महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देकर विकास की इस प्रक्रिया से समान रूप से अनुतोष प्राप्त करने के लिए महिलाओं को समर्थ बनाना और विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

सेवा मानक

हम निम्नलिखित कृत्यों द्वारा महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करने का प्रयास कर रहें हैं:

संविधान और अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपबंधित विधिक रक्षोपायों का अन्वेषण और परीक्षा की जाती है और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकारी अध्युपायों की सिफारिश की जाती है;

महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान और अन्य विधियों के विद्यमान उपबंधों का पुनर्विलोकन करना और ऐसी विधियों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उनमें संशोधन करने की सिफारिश की जाती है;

शिकायतों पर विचार किया जाता है और महिलाओं के अधिकारों, आदि के वंचन से संबंधित विषयों पर ध्यान दिया जाता है तथा समुचित प्राधिकारियों के समक्ष मुद्दों को उठाया जाता है;

महिलाओं के सुसंगत मुद्दों पर अध्ययन/अनुसंधान कराया जाता है, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लिया जाता है और सलाह दी जाती है तथा इसकी प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है;

उन जेलों, अभिरक्षा गृहों का, जहां महिलाओं को अभिरक्षा के अधीन रखा गया है, निरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक हो वहां उपचारी कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग क्रियान्वित अभिकरण नहीं है।

नागरिकों की शिकायतों का निवारण

आयोग को प्राप्त हुई शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाता है।

शिकायतें निम्नलिखित को संबोधित की जा सकती है:

श्रीमती ज्योति सिंघल, उप सचिव
पदाभिहित लोक शिकायत अधिकारी,
राष्ट्रीय महिला आयोग,
भूखंड सं. 21, एफसी 33, जसोला संस्थानिक क्षेत्र,
नई दिल्ली- 110025
ई-मेल: ds-ncw@nic.in
011-26944803

सेवा प्राप्तकर्ताओं से निर्देशात्मक प्रत्याशा

हम केन्द्रीय / राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों / राज्य महिला आयोगों / संगठनों / गैर-सरकारी संगठनों / वृत्तिक निकायों / अन्य संबंधित संगठनों और सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं:

क्र.सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से निर्देशात्मक प्रत्याशा
1.	आयोग की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए आयोग के साथ संवाद करे
2.	महिलाओं का संरक्षण, रक्षोपाय और संवर्धन के विचार को आत्मसात करें
3.	महिलाओं के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा विरचित नियमों और विनियमों का सम्मान और पालन करें
4.	महिलाओं के संरक्षण पर अन्य नागरिकों के साथ जानकारी साझा करे
5.	महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के बोध को अंगीकृत करे

उत्तरदायी केंद्रों की सूची

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) का कोई उत्तरदायी केंद्र नहीं हैं ।

समीक्षा की अगली तारीख

अप्रैल 2018 में नागरिकों के अधिदेश को जारी किया गया है। समीक्षा की अगली नियत तारीख अप्रैल 2019 है।

उपाबंध

आयोग के अधिकारियों के नाम, पता और फोन नंबर

ई.पी.ए.बी.एक्स. नं. - 011- 26942369, 26944740, 26944754, 26944805, 26944809

श्रीमती रेखा शर्मा
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय महिला आयोग,
भूखंड सं. 21, एफसी 33, जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली- 110025
ईमेल : chairperson-ncw@nic.in

श्री आलोक रावत
सदस्य,
राष्ट्रीय महिला आयोग,
भूखंड सं. 21, एफसी 33, जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली- 110025
ईमेल : rawat.alok@gov.in

श्रीमती सतबीर बेदी, आई.ए.एस.
सदस्य-सचिव,
राष्ट्रीय महिला आयोग,
भूखंड सं. 21, एफसी 33, जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली- 110025
ईमेल : ms-ncw@nic.in

श्री कुंदन लाल शर्मा
संयुक्त सचिव,
राष्ट्रीय महिला आयोग,
भूखंड सं. 21, एफसी 33, जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली- 110025
ईमेल : jsncw-wcd@nic.in

श्रीमती ज्योति सिंघल
उप सचिव,
राष्ट्रीय महिला आयोग,
भूखंड सं. 21, एफसी 33, जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली- 110025
ईमेल : ds-ncw@nic.in